(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)

क्र.सं.एफ. 13(2)\97-एल.ए.

दिनांक:-3। मार्च,1997

उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 31 मार्च,1997 को मिली अनुमित के पश्चात विधान सभा द्वारा पारित निम्निलिखित अधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:-

विनियोग (संख्या 1) अधिनियम,1997 (दिल्ली अधिनियम संख्या 2, 1997)

दिनांक:-3 मार्च,1997

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथा पारित) अधिनियम

वर्ष 1996-97 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए

इसे भारतीय संविधान के 48वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए।

संक्षिप्त शीर्षक (1) इस अधिनियम को विनियोजन (संख्या – 1) अधिनियम 1997 कहा जाए ।

(2)

वर्ष 1996–97
के लिए राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र
दिल्ली की संचित
निधी से
670,14,17,000/–
रूपये का निर्गम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत और प्रयुक्त कुछ और राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए छः सौ सत्तर करोड़ चौदह लाख सत्तरह हज़ार रूपये की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 1996–97 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन (3) इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची (खण्ड 2 व 3 देखें)

-	~	1
रूपरा	हज़ारों	H

			राशी इससे अधिक नहीं			
ॉॅंग सेवाएं एवं उद्देश ख्या	सेवाएं एवं उद्देश्य		/ विधान सभा द्वारा स्वीकृत		जोङ	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
1	विधान सभा	राजस्व		150	150	
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	12341	20	12361	
3	न्याय प्रशासन	राजस्व		5197	5197	
4	वित्त	राजस्व		2	2	
5	पुलिस	राजस्व पूँजीगत				
6	হািশ্বা	राजस्व पूँजीगत	200		200	
7	चिकित्सा व जन स्वास्थ्य	राजस्व पूँजीगत	100	650	750	
8	समाज कल्याण	राजस्व पूँजीगत	200 1224570		200 1224570	
9	उद्योग	राजस्व पूँजीगत	217253 983696	1000	218253 983698	
10	विकास	राजस्व पूँजीगत		849789	849789	
11	स्वायत्त शासन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग	राजस्व पूँजीगत	1000 3149349		2800 3204049	
	सार्वजनिक ऋण	राजस्व	***	199400	199400	
12	सरकारी कर्मचारीयों को ऋण	पूँजीगत		10		
13	पेंशनें	राजस्व	***	11		
	जोड़	:-	5588709	1112708	6701417	

R. T. L D'SOUZA
Under Secreta:y (L. A.)
Law, Justice & Legislative Affairs
Govt. of N.C.T. of Delhi

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

No.F.13(2)/97-L.A.

Dated 31.3.97

The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt. Governor of Delhi, on the 31st March, 1997 and is hereby published for general information:-

THE APPROPRIATION (NO.1) ACT, 1997 (Delhi Act No.(2) of 1997)

Dated 31.3.97

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi)

AN

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 1996-97.

Be it enacted by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in the 48th year of the Republic of India as follows:-

SHORT TITLE

- 1. This Act may be called the Appropriation (No.1) Act 1997.
- ISSUE OF
 Rs.670,14,17,000/from and out of the
 Consolidated Fund
 of the National
 Capital Territory
 of Delhi for the
 financial year
 1996-97.
- 2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the schedule, amounting in the aggregate to the sum of Rupees six hundred seventy crores and fourteen lakhs seventeen thousand towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 1996-97 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

APPROPRIATION

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said period.

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

			(Rs. in Thousands		
			SUMS NOT EXCEEDING		
DEMAND SERVICES AND PURPOSES No.			Voted by the Legislative	the Conso	l -
(1)	(2)		Assembly (3)	idated Fun (4)	nd (5)
1	Legislative Assembly	Revenue		150	150
2	General Administration	Revenue	12341	20	12361
3	Administration of Justice	Revenue		5197	5197
4	Finance	Revenue		2	2
5	Police	Revenue Capital			
6	Education	Revenue Capital	200		200
7	Medical and Public Health	Revenue Capital	100	650	750
8	Social Welfare	Revenue Capital	200 1224570	***	200 1224570
9	Industries	Revenue Capital	217253 983696	1000	218253 983696
10	Development	Revenue Capital	11	849789	849789
11	Local Self Govt. Deptt. Public Works Bepartment	& Revenue Capital	1000 3149349	1800 54700	2800 3204049
	Public Debt	Revenue		199400	199400
12	Loans to Govt. Servants	Capital			
13	Pensions	Revenue	**		
	TOTAL	:-	5588709	1112708	6701417

R. T. L D'SOUZA
Under Secretary (L. A.)
Law, Justice & Legislative Affairs
Geor. of N.C.T. of Dalls